

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रायगढ़(छ0ग0)

-: आदेश :-

क्रमांक- 2569 /न्या.लि./2020

रायगढ़, दिनांक 13 मार्च 2020

“कोरोना वायरस” के संक्रमण की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जाता है कि जिले में किसी भी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा, जुलूस आदि को जनहित में आदेश जारी दिनांक से 05 अप्रैल, 2020 तक के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। यदि किसी परिस्थिति में धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा, जुलूस आदि की आवश्यकता हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति अनिवार्य होगी।

अनुविभाग/तहसील/विकासखंड स्तर में धरना, रैली, प्रदर्शन, सभा, जुलूस आदि की आवश्यकता हो तो इस हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही नियत किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)

पृ. क्रमांक- 2569-ए /न्या.लि./2020

रायगढ़, दिनांक 13 मार्च 2020

प्रतिलिपि :-

- (1) सचिव छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ।
- (2) आयुक्त, विलासपुर संभाग, विलासपुर की ओर सूचनार्थ।
- (3) पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- (4) अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
- (5) सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़
- (6) सिटी मजिस्ट्रेट, रायगढ़
- (7) नगर पुलिस अधीक्षक, रायगढ़
- (8) उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ।
- (9) सर्व तहसीलदार/ नायब तहसीलदार व कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़(छ0ग0)